संख्याः-3052/XVIII(II)/2011-1(5)/2010

(179)

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2011

विषयः-अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लि0 को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल में 6.768 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1773/5-38(2009-10) दि0-18.3.2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0-6 भू क्रय/18(1)/2007 दि0-19.1.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लि0 को श्रीनगर जल विद्युत परियोजना हेतु ग्राम बड़कोट, मढी, साको, गोरसाली, महरगांव, सुपाणा एवं धारी, परगना कीर्तिनगर, तहसील देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल में 6.768 है0 अतिरिक्त भूमि क्रय की अनुमति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत एवं आपके द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खाता खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होगा।

.....2

पृ0प0सं0– 3052/संमदिनांकित/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
2– प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– प्रोजेक्ट कोऑड्रिनेटर, अलकनन्दा हाइड्रो पावर कम्पनी लि0, पंजीकृत कार्यालय, पैगण हाउस, 156–159 सरदार पटेल मार्ग, सिकन्दराबाद 500003 आन्ध्र प्रदेश।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।